



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 738]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 12, 2018/आश्विन 20, 1940

No. 738]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 12, 2018/ASVINA 20, 1940

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2018

**सा.का.नि. 1031(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2016 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में स्टाफ कार चालक समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्टाफ कार चालक पद (समूह 'ख' और समूह 'ग'), भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.** - ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.** - उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि.** - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**5. निरर्हता. - वह व्यक्ति, -**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**6. शिथिल करने की शक्ति. -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**7. व्यावृत्ति. -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम।	पद संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी)	1* (2018)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.)	अचयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा।	<b>प्रोन्नति :</b> वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 रु.) में स्तर-5 में कार्यरत ऐसा स्टाफ कार चालक (श्रेणी-1) जिसने उस श्रेणी में छः वर्ष की अनुमोदित सेवा के साथ-साथ कम से कम पांच वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा भी की हो।  <b>टिप्पण 1:</b> रेजीडेंसी अवधि के रूप में भर्ती के वर्ष के पहले दिन को उस श्रेणी में की गई अनुमोदित सेवा को प्रोन्नति के लिए गणना में लिया

		<p>जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> निम्नतर श्रेणी में सेवा की अवधि के आधार पर उस श्रेणी में भर्ती किए गए किसी अधिकारी या पदधारी के संदर्भ में "अनुमोदित सेवा" पद उस श्रेणी में की गई नियमित सेवा की अवधि या अवधियां होंगी जिसमें अनुपस्थिति की ऐसी अवधि या अवधियां भी शामिल हैं जिनके दौरान उसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर पद धारण किया होता यदि वह उस भर्ती वर्ष जिसके लिए भर्ती की गई थी, के पहले दिन से पद पर छुट्टी में नहीं हुआ होता या अन्यथा ऐसा पद धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं हुआ होता।</p> <p>परन्तु जहां नियुक्ति के संबंध में कार्यभार ग्रहण के नब्बे दिन से अधिक का विलंब है, वहां ऐसा विलंब अधिकारी या पदधारी की ओर से किसी गलती के कारण नहीं होना चाहिए।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>
--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
<p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि या प्रोन्नति समिति (पुष्टि या प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>1. कार्मिक का प्रधान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष;</p> <p>2. संयुक्त निदेशक से अनिम्न पंक्ति का अधिकारी, - सदस्य; इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</p>	लागू नहीं होता।

3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य। से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग या संगठन का उप सचिव से अनिम्न या समतुल्य पंक्ति का एक अधिकारी	
--	--

1	2	3	4	5	6
2. स्टाफ कार चालक (श्रेणी-1)	9* (2018)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीया	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 5 (29200-92300 रु.)	अचयन।	लागू नहीं होता।

7	8	9	10	11
---	---	---	----	----

लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) में स्तर-4 में कार्यरत ऐसा स्टाफ कार चालक (श्रेणी-2) जिसने उस श्रेणी में छः वर्ष की अनुमोदित सेवा के साथ-साथ कम से कम पांच वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा भी की हो या स्टाफ कार चालक (श्रेणी-2) और स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) के रूप में पन्द्रह वर्ष की सम्मिलित अनुमोदित सेवा के साथ-साथ कम से कम तेरह वर्ष की सम्मिलित नियमित और निरंतर सेवा भी की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> रेजीडेंसी अवधि के रूप में भर्ती के वर्ष के पहले दिन को उस श्रेणी में की गई अनुमोदित सेवा को प्रोन्नति के लिए गणना में लिया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> निम्नतर श्रेणी में सेवा की अवधि के आधार पर उस श्रेणी में भर्ती किए गए किसी अधिकारी या पदधारी के संदर्भ में "अनुमोदित सेवा" पद उस श्रेणी में की गई नियमित सेवा की अवधि या अवधियां होंगी जिसमें अनुपस्थिति की ऐसी अवधि या अवधियां भी शामिल हैं जिनके दौरान उसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर पद धारण किया होता यदि वह उस भर्ती वर्ष जिसके लिए भर्ती की गई थी, के पहले दिन से पद पर छुट्टी में नहीं हुआ होता या अन्यथा ऐसा पद धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं हुआ होता।</p> <p>परन्तु जहां नियुक्ति के संबंध में कार्यभार ग्रहण के नब्बे दिन से अधिक का विलंब है, वहां ऐसा विलंब अधिकारी या पदधारी की ओर से किसी गलती के कारण नहीं होना चाहिए।</p>
-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	--



				<p><b>टिप्पण 3:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>
--	--	--	--	---

12				13	
<p><b>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</b></p> <p>1. निदेशक या उप सचिव या संयुक्त निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष;</p> <p>2. उप निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य;</p> <p>3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग या संगठन का अवर सचिव या समतुल्य - सदस्य।</p>				लागू नहीं होता।	
1	2	3	4	5	6
3. स्टाफ कार चालक (श्रेणी -II)	8* (2018)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.)	अचयन।	लागू नहीं होता।

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) में स्तर-2 में कार्यरत ऐसा स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) जिसने उस श्रेणी में नौ वर्ष की अनुमोदित सेवा के साथ-साथ कम से कम आठ वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा भी की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> रेजीडेंसी अवधि के रूप में भर्ती के वर्ष के पहले दिन को उस ग्रेड में की गई अनुमोदित सेवा को प्रोन्नति के लिए गणना में लिया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> इस श्रेणी के संबंध में पद "अनुमोदित</p>

				<p>सेवा" से अभिप्रेत है:</p> <p>(i) उस श्रेणी में सीधे भर्ती किए गए किसी अधिकारी या पदधारी के संदर्भ में, उस श्रेणी में की गई नियमित सेवा की अवधि या अवधियां होंगी जिसमें अनुपस्थिति की ऐसी अवधि या अवधियां भी शामिल हैं जिनके दौरान उसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर पद धारण किया हुआ होता, यदि वह उस वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, के बाद वाले भर्ती वर्ष के पहले दिन से ऐसा पद धारण करने के लिए छुट्टी पर नहीं रहा होता या अन्यथा उपलब्ध नहीं रहा होता।</p> <p>(ii) निम्नतर श्रेणी में सेवा की अवधि के आधार पर उस श्रेणी में भर्ती किए गए किसी अधिकारी या पदधारी के संदर्भ में, उस श्रेणी में की गई नियमित सेवा की अवधि या अवधियां होंगी जिसमें अनुपस्थिति की ऐसी अवधि या अवधियां भी शामिल हैं, जिनके दौरान उसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर पद धारण किया होता यदि वह उस भर्ती वर्ष जिसके लिए भर्ती की गई थी, के पहले दिन से पद पर छुट्टी में नहीं हुआ होता या अन्यथा ऐसा पद धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं हुआ होता।</p> <p>परन्तु उपर्युक्त उपखंड (i) और उपखंड (ii) में नियुक्ति के संबंध में कार्यभार ग्रहण के नब्बे दिन से अधिक का विलंब है, वहां ऐसा विलंब अधिकारी या पदधारी की ओर से किसी गलती के कारण नहीं होना चाहिए।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>
--	--	--	--	--

12					13
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-					लागू नहीं होता।
1. निदेशक या उप सचिव या संयुक्त निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय					- अध्यक्ष;
2. उप निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय					- सदस्य;
3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग या संगठन का अवर सचिव या समतुल्य					- सदस्य।
1	2	3	4	5	6
4. स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	8* (2018)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह, 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900- 63200 रु.)	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच।  (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।  <b>टिप्पण 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीती जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
7	8	9	10	11	
<b>आवश्यक :</b>  (i) मोटरकार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो;  (ii) मोटरकार के चालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो;  (iii) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती या पुनर्नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।  सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए:	<b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (19900- 63200 रु.) में स्तर-2 में ऐसे सवार हरकारा (नियमित आधार पर) और (ii) वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) में स्तर-1 में ऐसे अन्य समूह 'ग' कर्मचारी, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में तीन वर्ष की अनुमोदित सेवा के साथ-साथ कम से कम दो वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा भी की हो और जो स्तंभ	

<p>स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण हो; और</p> <p>(iv) सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण हो।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>होमगार्ड या सिविल स्वयं सेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा।</p> <p><b>टिप्पण:</b> अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>			<p>प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजित।</p>	<p>(7) के अधीन विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखता हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> रेजीडेंसी अवधि के रूप में भर्ती के वर्ष के पहले दिन को उस श्रेणी में</p> <p>की गई अनुमोदित सेवा को प्रोन्नति के लिए गणना में लिया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> "अनुमोदित सेवा" पद निम्नलिखित के अनुसार होगा:</p> <p>उस श्रेणी में सीधे भर्ती किए गए किसी अधिकारी या पदधारी के संदर्भ में, उस श्रेणी में की गई नियमित सेवा की अवधि या अवधियां होंगी जिसमें अनुपस्थिति की ऐसी अवधि या अवधियां भी शामिल हैं जिनके दौरान उसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर पद धारण किया हुआ होता, यदि वह उस वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, के बाद वाले भर्ती वर्ष के पहले दिन से ऐसा पद धारण करने के लिए छुट्टी पर नहीं रहा होता या अन्यथा उपलब्ध नहीं रहा होता।</p> <p>परन्तु, जहां उपर्युक्त उपखंड में नियुक्ति पर पद ग्रहण करने में नब्बे दिनों से अधिक देरी हो, वह देरी किसी अधिकारी या पदधारी की गलती के कारण नहीं होनी चाहिए।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता</p>
---	--	--	------------------------------------	---



			<p>सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति/आमेलन:</b></p> <p>केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों या विभागों में नियमित आधार पर या समूह 'ग' के नियमित कर्मचारियों में से सवार हरकारा का पद धारण करने वाले पदधारियों, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) में स्तर-1 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और जो स्तंभ (7) में यथा उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करता हो।</p> <p><b>भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन:</b></p> <p>सशस्त्र बल के ऐसे कर्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p> <p><b>टिप्पण:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	--	---

12	13
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि/प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।
1. निदेशक या उप सचिव या संयुक्त निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	- अध्यक्ष;
2. उप निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	- सदस्य;
3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग या संगठन का अवर सचिव या समतुल्य	- सदस्य।

[फा. सं. 1(6)/2014-का. III]

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th October, 2018

**G.S.R. 1031(E).**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group 'B' and Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Drivers Group 'B' and Group 'C' in the Ministry of Electronics and Information Technology, namely:-

**1. Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Staff Car Drivers posts (Group 'B' and Group 'C') Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.** - These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.** - The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.** - The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**5. Disqualification.** - No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Staff Car Driver (Special Grade).	1* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Non-selection.
Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Methods of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<b>Promotion:</b> Staff Car Driver (Grade -I) in level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) who have rendered six years approved service and also have rendered at least five years regular and continuous service in the grade.  <b>Note 1:</b> The approved service rendered in the grade, on the 1 <sup>st</sup> day of the Recruitment Year, as the residency period shall be counted for promotion.  <b>Note 2:</b> The expression "Approved Service" shall, in respect of an officer or official recruited to that grade, on	<b>Group 'B' Departmental Promotion or Confirmation Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of :-</b>  1. Head of Personnel, Ministry of Electronics and Information Technology - Chairman;  2. One Officer not below the rank of Joint Director, Ministry of Electronics and Information Technology - Member;  3. One Officer not below the rank of Deputy Secretary or equivalent to the Government of India from Ministry or Department or Organisation other than the Ministry -Member.	Not applicable.

<p>the basis of length of service in the lower grade, be the period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:</p> <p>Provided that where there is delay of more than ninety days in joining on appointment, such delay should not be due to any fault on the part of the officer or official</p> <p><b>Note 3:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>		of Electronics and Information Technology		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Staff Car Driver (Grade I).	9* (2018)  *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	Non-Selection.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion
(11)		(12)		(13)
<p><b>Promotion:</b> Staff Car Driver (Grade – II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) who have rendered six years approved service and also have rendered at least five years regular and continuous service in the grade or who have rendered fifteen years combined approved service and also have rendered at least thirteen years combined regular and continuous service as Staff Car Driver (Grade-II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade).</p> <p><b>Note 1:</b> The approved service rendered in the grade, on the 1<sup>st</sup> day of the Recruitment Year, as the residency period shall be counted for promotion.</p>		<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director or Deputy Secretary or Joint Director, Ministry of Electronics and Information Technology - Chairman;</li> <li>2. Deputy Director, Ministry of Electronics and Information Technology - Member;</li> <li>3. Under Secretary or equivalent to the Government of India from Ministry or Department or Organisation other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member.</li> </ol>		Not applicable.



<p><b>Note 2:</b> The expression "Approved Service" shall, in respect of an officer or official recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, be the period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:</p> <p>Provided that where there is delay of more than ninety days in joining on appointment, such delay should not be due to any fault on the part of the officer or official.</p> <p><b>Note 3:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Staff Car Driver (Grade II).	8* (2018)  *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Non-Selection.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.
(11)		(12)		(13)
<p><b>Promotion:</b></p> <p>Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) who have rendered nine years approved service and also have rendered at least eight years regular and continuous service in the grade.</p> <p><b>Note 1:</b> The approved service rendered in the grade, on the 1<sup>st</sup> day of the Recruitment Year, as the residency period shall be counted for promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The expression "Approved</p>		<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director or Deputy Secretary or Joint Director, Ministry of Electronics and Information Technology - Chairman;</li> <li>2. Deputy Director, Ministry of Electronics and Information Technology - Member;</li> <li>3. Under Secretary or equivalent to the Government of India from Ministry or</li> </ol>		Not applicable.

<p>Service" in relation to any grade means:</p> <p>(i) in respect of an officer or official recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year, following the year in which the examination for direct recruitment was held;</p> <p>(ii) in respect of an officer or official recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:</p> <p>Provided that where there is delay of more than ninety days in joining on appointment, in the sub-clauses (i) and (ii) above, such delay should not be due to any fault on the part of the officer or official.</p> <p><b>Note 3:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Department or Organisation other than the Ministry of Electronics and Information Technology</p>	
---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Staff Car Driver (Ordinary Grade).	8* (2018)  *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Between 18 and 27 years.</p> <p>(Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date specified for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>Essential:</p> <p>(i) Possession of a valid driving license for motor car;</p> <p>(ii) Experience of driving a motor car for at least three years;</p> <p>(iii) Pass in 10th Standard from recognised board; and</p> <p>(iv) To pass the Trade Test specified by the Government.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers.</p> <p>Note: In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them, the qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority.</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits or re-employed.	<p>By promotion failing which by deputation/absorption and failing both by direct recruitment.</p> <p>For Armed Forces Personnel:</p> <p>Deputation/re-employment.</p>
(11)	(12)		(13)	
<p><b>Promotion:</b></p> <p>(i) Dispatch Riders (on regular basis) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) and (ii) other Group 'C' employees in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) who have rendered three years approved service and also have rendered at least two years regular and continuous service in the Ministry of Electronics and Information Technology and possessing the qualifications specified under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The approved service rendered in the grade, on the 1<sup>st</sup> day of the Recruitment Year, as the residency period will be counted for promotion.</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion/Confirmation Committee (for considering promotion/confirmation) consisting of :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director or Deputy Secretary or Joint Director, Ministry of Electronics and Information Technology - Chairman;</li> <li>2. Deputy Director, Ministry of Electronics and Information Technology - Member;</li> <li>3. Under Secretary or equivalent to the Government of India from Ministry or - Member.</li> </ol>		Not applicable.	

<p><b>Note 2:</b> The expression “Approved Service” in relation to any grade means:</p> <p>in respect of an officer or official recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year, following the year in which the examination for direct recruitment was held:</p> <p>Provided that where there is delay of more than ninety days in joining on appointment, such delay should not be due to any fault on the part of the officer or official.</p> <p><b>Note 3:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation/Absorption:</b></p> <p>Officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group ‘C’ employees with three years regular service in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) in other Ministries or Departments of the Central Government who fulfil the</p>	<p>Department or Organisation other than the Ministry of Electronics and Information Technology</p>
--	---



<p>necessary qualifications as mentioned in column (7).</p> <p><b>Deputation/re-employment for Armed Forces Personnel:</b></p> <p>The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications specified shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p><b>Note:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation/absorption shall be 'not exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

[F.No. 1(6)/2014Pers-III]

RAJIV KUMAR, Jt. Secy.

**ALOK  
KUMAR**

Digitally signed  
by ALOK KUMAR  
Date: 2018.10.22  
11:47:38 +05'30'